न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 53/2022

सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

.........प्रार्थी

बनाम

1– कमला पत्नी नाथूपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर

2– गुडीया पुत्री नाथूपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर

3– गणपतपुरी पुत्र नाथूपुरी निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर

4– गोपालपुरी पुत्र नाथूपूरी निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर

5– ललीतापुरी पुत्री नाथूपुरी निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक अप्रार्थी

–: आदेश :–

दिनांक– 21.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज को ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 395 मि0 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी उत्तम दिनांक 21.06.1995 में आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा देने के उपरान्त भी उस पर कृषि कार्य काश्त एवं बुवाई नहीं की गई। कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं करने कारण अप्रार्थीयान के पिता के पक्ष में किया गया प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जिस हेतु दिनांक 06.02.2024, 15.04.2024, 27.05.2024 को अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज को ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 395 मि0 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी उत्तम भूमि दिनांक 21.06.1995 में आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को भूमि का कब्जा देने के उपरान्त भी उनके द्वारा आंवटित/नियमित भूमि पर कृषि कार्य काश्त एवं बुवाई नहीं की गई। आवंटी को कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) की

जिला कलक्टर
अजमेर

शर्त अनुसार आवंटित भूमि का काश्त हेतु उपयोग करना चाहिए था, परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि का काश्त हेतु उपयोग नहीं कर आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 395 मि0 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी उत्तम का अप्रार्थीगण के पूर्वज के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने मुख्यतः निवेदन किया कि राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय तिलोरा तहसील पुष्कर में दिनांक 21.06.1995 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम तिलोरा स्थित आराजी ख.नं. 395 रकबा 01–12–00, किस्म बारानी उत्तम जो तत्समय छोटी पट्टी के तहत अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में समस्त तथ्यों की जांच कर विधिवत रूप से आवंटन/नियमन किया जाकर खातेदार दर्ज किया गया। आंवटित भूमि मात्र 1 बीघा 12 बिस्वा है जिसकी किस्म बारानी उत्तम है। अतः प्रार्थना पत्र **सव्यय** खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी की खसरा गिरदावरी सं. 2047 से 2070 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8–10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम तिलोरा की जमाबन्दी सं. 2072 से 2075 (वर्ष 2018 से स्थाई) के अनुसार नियमित भूमि आंवटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। आवंटी द्वारा नियमों की पालना नहीं करने के कारण खातेदारी के हक नहीं मिले हैं। राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार ''अतिचारियों को भूमि का आवंटन'' के उप नियम 1 के अनुसार भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के अनुसार ''आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तों से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो'' के तहत् आवंटी द्वारा उनके हक में नियमित भूमि पर बिल्कुल काश्त नहीं की जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 395 मिन रकबा 01–12–00 बीघा हाल खसरा नम्बर 489 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म बारानी उत्तम भूमि का अप्रार्थीयान के पूर्वज के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर